

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सायला**  
**पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती गोमती शर्मा आर.ए.एस**

प्रार्थना पत्र संख्या 26/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये तहसीलदार सायला तहसील सायला जिला जालोर		श्री भूरसिंह वल्द भगू वगैरह कौम राजपुत निवासी थलवाड

**प्रार्थनापत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136**  
**बाबत रेकर्ड दुरुस्ती**


उपस्थित- 1. सरकारी पैरोकार ( तह0 सायला) प्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक 20/5/19

संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि डीआईएलआरएमपी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वन टू वन मैपिंग के दौरान जांच में जमाबन्दी एवं नक्शे में उपलब्ध खसरो के मिसमेच होने पर सैटलमेंट के दौरान हुई गलतियां पाई गई जिसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत शुद्ध किया जाना है। ग्राम थलवाड की मिसल बन्दोबस्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 1520/1700 रकबा 0.09 हे. में भूरसिंह आम्बसिंह पि.भगू कौम राजपूत सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज है एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में उक्त 1520/1700 रकबा 0.09 हे. में भूरसिंह वल्द भगू लालाकंवर पत्नी आम्बसिंह वागसिंह पुत्र आम्बसिंह गवरीकंवर पुत्री आम्बसिंह गवरीकंवर नाबा की कुदरती वली माता लालाकंवर पत्नी आम्बसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन भूरसिंह का हि. एमजीबी शाखा धानसा नासं. 1168 दर्ज है। परन्तु उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1520/1800 दर्ज है। चूंकि उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1520/1800 गलत दर्ज है, जो सैटलमेंट की गलती है लिहाजा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर नियमानुसार आदेशित करावें ताकि मिसल बन्दोबस्त अनुसार नक्शा शीट एवं लट्ठा में खसरा नम्बर 1520/1800 की बजाय 1520/1700 शुद्ध/संशोधन किया जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी सह खातेदार को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल प्राप्त है अप्रार्थीगण द्वारा सहमती पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम थलवाड के मिसल बन्दोबस्त जमाबन्दी में दर्ज खसरा नम्बर 1520/1700 के अनुसार नक्शा व मोमीट्रेस में खसरा नम्बर 1520/1800 की बजाय 1520/1700 किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सायला (राज.)

तहसीलदार सायला, भू.अ. निरीक्षक एवं संबंधित पटवारी हल्का के सयुक्त हस्ताक्षररार्थ से अपनी जांच रिपोर्ट एवं उपर्युक्त प्रार्थना पत्र व अप्रार्थीगण का सहमती पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया है कि ग्राम थलवाड की मिसल बन्दोबश्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 1520/1700 रकबा 0.09 हे. में भूरसिंह आम्बसिंह पि.भगू कौम राजपूत सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज है एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में उक्त 1520/1700 रकबा 0.09 हे. में भूरसिंह वल्द भगु लालाकंवर पत्नी आम्बसिंह वागसिंह पुत्र आम्बसिंह गवरीकंवर पुत्री आम्बसिंह गवरीकंवर नाबा की कुदरती वली माता लालाकंवर पत्नी आम्बसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार रहन भूरसिंह का हि. एमजीबी शाखा धानसा नासं. 1168 दर्ज है । परन्तु उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1520/1800 दर्ज है। चूंकि उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1520/1800 गलत दर्ज है, जो सैटलमेंट की गलती है प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार सायला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मोजा थलवाड के खसरा नम्बर 1520/1800 के बजाय 1520/1700 को नक्शे मे दर्ज किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। हमने पत्रावली, तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। हम तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट से सहमत है तथा तहसीलदार की जांच व अनुशंषा अनुसार सरहद मोजा थलवाड के खसरा नम्बर 1520/1800 के बजाय 1520/1700 को नक्शे मे दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर सरहद मोजा थलवाड के खसरा नम्बर 1520/1800 के बजाय 1520/1700 को सलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार नक्शे में दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है। सलग्न नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। रेकर्ड में दुरुस्ती हेतु तहसीलदार सायला को तहरीर जारी हों।

आदेश दिनांक ..... 20/05/2019 ..... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोमती शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
सायला (राज.)